न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया।

आदेश

वाद सं0 एम0 01/2020
धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत।

प्रथम पक्ष– बलराम बड़ाईक पिता स्व0 मनरखन बड़ाईक सा0 ममरला ।

बनाम

द्वितीय पक्ष– पंकज बड़ाईक पिता स्व0 लक्ष्मीनाथ बड़ाईक बगैरह .... ।

1
26/3/21

वाद की कार्यवाही थाना प्रभारी, बसिया के अप्राथमिकी सं0 01/2021 दिनांक 04/01/2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा ममरला के खाता सं0 94 प्लॉट सं0 561 रकबा 0.63 एकड़ जमीन में **प्रथम पक्ष** (1) बलराम बड़ाईक पिता स्व0 मनरखन बड़ाईक सा0 ममरला थाना कामडारा **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) पंकज बड़ाईक पिता स्व0 लक्ष्मीनाथ बड़ाईक (2) अलखनाथ बड़ाईक उम्र 55 वर्ष (3) तिरलोकी बड़ाईक दोनो पिता उदेनाथ बड़ाईक सभी सा0 ममरला पाकरटोली थाना बसिया जिला गुमला के बीच मौजा ममरला के खाता सं0 94 प्लॉट सं0 561 रकबा 0.63 एकड़ भूमि चौहदी पूरब पक्की सड़क, पश्चिम सीताराम बड़ाईक का जमीन, दक्षिण रोपना खड़िया का जमीन उत्तर में पंकज बड़ाईक का मकान। उक्त भूमि में लगे पेड़ को काट कर द्वितीय पक्ष के मकान निर्माण को लेकर प्रथम पक्ष के द्वारा आपत्ति कर विवाद लाया गया है। फलस्वरूप शांति भंग होने संबंधी प्रतिवेदन थाना बसिया द्वारा कि गया है। थाना प्रभारी बसिया के उक्त प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मद्देनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए दं0प्र0सं0 की धारा 144 प्रारम्भ किया गया एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है जो निम्न प्रकार है:–

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कारण पृच्छा एवं जवाब दाखिल किया गया है जो निम्न लिखित है।

उक्त विवादित जमीन मौजा ममरला टोला पाकर टोली थाना बसिया जिला गुमला के अन्दर खाता सं0 94 प्लॉट सं0 561 रकबा 0.63 डी0 खतियान अनुप बड़ाईक पिता हरखनाथ बड़ाईक के नाम से दर्ज है और मालगुजारी रसीद मनरखन बड़ाईक के नाम से कट रहा है। जो प्रथम पक्ष के पिता है। खतियानी के आधार पर प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष एक परिवार के सदस्य है। जिसका वंशवृक्ष निम्न प्रकार है।

हरखनाथ बड़ाईक
↓
अनुप बड़ाईक

गणपत बड़ाईक — रामापात बड़ाईक
↓
मनरखन बड़ाईक
↓
बलराम बड़ाईक (प्रथम पक्ष)

उदयनाथ बड़ाईक — राधानाथ बड़ाईक — लक्ष्मी बड़ाईक

अलखनाथ बड़ाईक (द्वितीय पक्ष) — त्रिलोकनाथ बड़ाईक (द्वितीय पक्ष) — पंकज बड़ाईक (द्वितीय पक्ष)

रंजीत बड़ाईक — राम बड़ाईक

उपरोक्त वर्णित खाता में रकबा 7.32 डी जमीन है। जमीन का बंटवारा आधा हो चुका हैं। जिसका आधा में प्रथम पक्ष 3.66 डी0 एवं आधा में द्वितीय पक्ष 3.66 डी0 जमीन होता है। द्वितीय पक्ष के लोग रोड़ साईड में 0.40 एवं 0.60 डी0 के बीच जमीन बिकी कर दिये है। उपरोक्त वर्णित खाता प्लॉट रकबा 0.63 एकड़ भूमि में आम का बगीचा है और खतियान में आम पेड़ दर्ज है। जो प्रथम पक्ष के हिस्सा में 14 वृक्ष आम और द्वितीय पक्ष के हिस्सा में 18 वृक्ष आम पेड़ हिस्सा में है। और जमीन प्रथम पक्ष को 0.31½ एकड़ हिस्सा मिला है। तथा द्वितीय पक्ष को 0.31½ एकड़ भूमि हिस्सा में मिला । जो कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष का हिस्सा का जमीन का वृक्ष को काटकर घर बनाने का पिलर गाड़ खोद कर पिलर गाड़ दिया गया है जो कानुनी तौर पर गलत है। प्रथम पक्ष के हिस्से का जमीन में द्वितीय पक्ष 01/09/2007 में दो आम पेड़ काटकर समझौता करा कर केश वापस कर दिया गया। जो इस बाद का आवेदन में है। विवादित जमीन में लगे बगीचा के पेड़ आदि दिनांक 02/09/2007 में एक बैठक करा कर कार्तिक बी0 बड़ाईक अलखनाथ बड़ाईक महेश साहु बगैरह 20 लोगो का सही है इस प्रकार प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के बीच में मतभेद था उसको सुलझा दिया गया था। यह पंचो के अनुसार जिस बात की समस्या को द्वितीय पक्ष के लोग न मानते हुए प्रथम पक्ष के गरीबी का नजायज फायदा उठाने के चलते जो विवादित जमीन है उसको हड़पने के नियत से परेशान कर रहे है। चूंकि प्रथम पक्ष अकेला है और द्वितीय पक्ष के लोंग संख्या अधिक है। पुलिस के द्वारा स्थल जॉच किया जिसमें द्वितीय पक्ष के लोग घर बनाने हेतु पिलर गढ़ा खोद कर पिलर गाड़ा पाया है। तथा प्रथम पक्ष की जमीन का चौहदी दिया गया है जसमें पूरब मे पक्की रोड़ पश्चिम में सीताराम बड़ाईक खतियानी जमीन दक्षिण में रोपना बड़ाईक का खतियानी जमीन उत्तर मं पंकज बडाईक का अपना घर है। इस चौहदी से यह प्रतीत होता है कि प्रथम क्ष का जमीन है।प्रथम पक्ष के हिस्से की जमीन को कमजोर जान कर परेशान कर रहें है तथा पूर्व मे पंचो की बात नहीं माना जा रहा है।

प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल कागजाजः–

1 खतियानी की प्रति।

2 लगान रसिद की प्रति।

3 बंटवारा से संबंधीत कागजात।

द्वितीय पक्ष की ओर से न्यायालय में किसी प्रकार का कागजात दाखिल नहीं किये है, न्यायालय में उपस्थित हुए है।

उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत किया गया लिखित जवाब, कागजात, बहस एवं थाना प्रभारी बसिया के जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है, मौजा ममरला के खाता सं0 94 प्लॉट सं0 561 रकबा 0.63

एकड़ भूमि से संबंधित है द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रथम पक्ष कि हिस्से में लगे वृक्ष को काटकर मकान निर्माण करने को लेकर वाद दाखिल किया गया है। उभय पक्ष एक ही वंशज के रैयत है । उक्त वादगत भूमि का पूर्व रैयतदार आपसी बंटवारा हुआ है बटवारा के आधार पर अपने अपने दखल कब्जा में जीवन यापन करते आ रहे है। द्वितीय पक्ष के द्वारा न्यायालय में अपना कारण पृच्छा एवं जवाब दाखिल नहीं किया गया है। उक्त वाद मापी से संबंधीत प्रतीत होता है।

अतः उक्त वादगत मौजा ममरला के खाता सं0 94 प्लॉट सं0 561 रकबा 0.63 एकड़ भूमि से संबंधित वाद को बिना गुण दोष के समाप्त किया जाता है।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

ज्ञापांकः– दिनांकः–

प्रतिलिपिः– थाना प्रभारी बसिया के अप्राथमिकी सं0 01/2021 दिनांक 04/01/2021 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुमण्डल पदाधिकारी
बसिया (गुमला)।

Digitally signed by SANJAY PMKUJUR
Date: 2021.09.21 12:02:18 +05:30
Location: 192.168.3.239